मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

1. **उद्देश्य**

   राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू किया गया है।

2. **निधि का संवितरण**

   इसके अंन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रूपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रूपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

3. **देय राशि**

   इसके अंन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रूपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रूपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

4. **पात्रता**

   इसके अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी आय वर्ग के वृद्धजन।

5. **प्रक्रिया**

   इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है। साथ ही, इसमें sspmis.in पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है।

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया**

   मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. **अनुश्रवण की प्रक्रिया**

   मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी| साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स**

   मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।